न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/48/2021	2021/197	08-10-2021	28-06-2023

01— कर्म चन्द पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी ग्राम बडली की ढाणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

—अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)
02— चिममन पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी नंगली आझो तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

— असल रेस्पोडेन्ट

03— सुशीला पत्नी प्रेमप्रकाश,
04— राकेश पुत्र प्रेमप्रकाश,
05— घनश्याम पुत्र प्रेमप्रकाश,
06— औमप्रकाश पुत्र प्रभू,
07— सुन्दर लाल पुत्र रामचन्द्र,
08— रामनिवास पुत्र रामचन्द्र,
09— मदनलाल पुत्र प्रभू,
10— कन्हैया पुत्र प्रभू,
11— सूरजभान पुत्र प्रभू,
12— चन्द्रभान उर्फ धनश्याम पुत्र प्रभू, जातियान ब्राहम्ण निवासीगण रारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)
13— जवाहर पुत्र बलबीर,
14— कर्मवीर पुत्र बलबीर जातियान जाट निवासीगण बडली की ढाणी हाल नारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)
15— धन्सीराम पुत्र किशोरी,
16— राजराम पुत्र किशोरी,
17— श्रीकृष्ण पुत्र किशोरी जातियान ब्राहम्ण निवासीगण शिव भट्टे के पास रारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

— तरतीवी रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 09.11.2016 नामान्तकरण संख्या 912 वाके ग्राम रारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री अशोक कुमार मुदगल —वकील अपीलान्ट
02—श्री महेश गोठवाल —वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2
02—श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

—:निर्णय:—

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 09.11.2016 नामान्तकरण संख्या 912 वाके ग्राम नारेडी तहसील मुण्डावर जिराके द्वारा विमुदित आराजी में से गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक गलत रूप से दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बावत दिलाये जाने व कायम किये जाने नया रास्ता आराजी खसरा न0 424 रकबा 0.29 है0, 423 रकबा 0.53 है0, 422 रकबा 0.58 है0, 425 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम नारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर का मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 17 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर ने निर्णय दिनाक 18.10.2016 के द्वारा गलत रूप से खिलाफ कानून व खिलाफ मौका उक्त विवादित आराजी खसरा न0 422 में से 0.02 है0, खसरा न0 423 में से 0.01 है0, खसरा न0 424 में से 0.01 है0, खसरा न0 425 में से 0.01 है, का गैरमुमकिन रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान किया गया। तथा क्षतिपूर्ति राशि जमा होने पर खातेदार को अदा करने के आदेश प्रदान किये गये। पारित निर्णय दिनाक 18.10.2016 के विरूद्व मिन अपीलान्ट ने एक अपील न्यायालय भू0 प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर को पेश की गयी। जिस पर अपील में दिनाक 23.11.2016 को अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर स्थगन आदेश जारी किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्थगित किया गया तथा स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व न्यायालय के समक्ष यह तथ्य नही आया था कि उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनाक 18.10.2016 की पालना उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 912 दिनाक 09.11.2016 को हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक़ कलक्टर मुण्डावर के आदेश दिनाक 18.10.2016 के विरूद्व अपीलान्ट ने दिनाक 09.11.2016 को प्रस्तुत कर दी गयी थी, तथा दिनाक 23.11.2016 को स्थगन आदेश जारी कर दिये गये थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बावजुद स्थगन आदेश बैक डेट में दिनाक 09.11.2016 को मात्र निर्णय के दिनाक से मात्र 21 दिन में ही उक्त नामान्तकरण संख्या 912 स्वीकृत कर दिया अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया व न ही साक्ष्य सफाई/सुनवाई का समुचित अवसर ही दिया। नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने मौके की कोई जॉच नही की गयी। वास्तविकता यह है, कि उक्त विवादित आराजी में न तो पूर्व में रास्ता था और न ही नया रास्ता कायम किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.11.2016 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 03.12.2020 को हुयी जिस पर मिन अपीलान्ट ने पारित आदेश की नकल हेतु दिनाक 04.12.2020 को पेश किया गया जो नकल दिनाक 07.12.2020 को प्राप्त हुयी। जिस पर कानूनी सलाह प्राप्त कर आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। दिनाक 09.11.2016 से दिनाक 03.12.2020 तक का समय अपीलान्ट की लाइल्मी में निकला है, उसके पश्चात का समय अपील हेतु आवश्यक ईन्तजाम व अपील की तैयारी में निकला है, जो समय मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 मयाद अधिनियम का पेश कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.11.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है, कि तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 912 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के द्वारा जारी डिक्री/आदेश क्रमांक राजस्व /2016/2518 दिनाक 09.11.2016 के अनुरूप दर्ज कर दिनाक 09.11.2016 स्वीकार किया गया है। तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 912 निर्णय दिनांक 09.11.2016 वाके ग्राम रारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 21.12.2020 को पेश की गयी है, जो 04 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2016 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 03.12.2020 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नया रास्ता आराजी खसरा न0 424 रकबा 0.29 है0, 423 रकबा 0.53 है0, 422 रकबा 0.58 है0, 425 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम नारेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर का मिन अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 17 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर ने निर्णय दिनाक 18.10.2016 के द्वारा विवादित आराजी खसरा न0 422 में से 0.02 है0, खसरा न0 423 में से 0.01 है0, खसरा न0 424 में से 0.01 है0, खसरा न0 425 में से 0.01 है, का गैरमुमकिन रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त पारित निर्णय दिनाक 18.10.2016 के विरूद्व मिन अपीलान्ट ने एक अपील न्यायालय भू0 प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर को पेश की गयी। जिस पर अपील में दिनाक 23.11.2016 को अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर स्थगन आदेश जारी किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्थगित किया गया तथा स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व न्यायालय के समक्ष यह तथ्य नही आया था कि उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनाक 18.10.2016 की पालना उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 912 दिनाक 09.11.2016 को हो चुकी है। वक्त बहस वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुये वकील अपीलान्ट द्वारा वक्त बहस न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 18.10.2016 की प्रमाणित प्रति एवं न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा पारित आदेशिका दिनाक 23.03.2021 अपील संख्या 69/2016 बउनवान कर्मचन्द बनाम चिम्मन की प्रमाणित प्रति पेश की गयी है, जिसके अनुसार प्रकरण में वर्णित आराजीयात के संबंध में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है, इस लिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर प्रकरण संख्या 3[illegible]/2016 (12/2015) बउनवान चिम्मन बनाम कर्मचन्द का निर्णय दिनाक 18.10.2016

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

निरस्त किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 912 वाके ग्राम नारेडी तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 09.11.2016 के विरूद्व पेश की गयी है, तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा उक्त नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के द्वारा जारी डिक्री/आदेश क्रमाक राजस्व /2016/2518 दिनाक 09.11.2016 के अनुरूप दर्ज कर दिनाक 09.11.2016 स्वीकार किया गया है, वर्तमान में न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा अपने निर्णय दिनाक 23.03.2021 अपील संख्या 69/2016 बउनवान कर्मचन्द बनाम चिम्मन अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर प्रकरण संख्या 32/2016, (12/2015) बउनवान चिम्मन बनाम कर्मचन्द का निर्णय दिनाक 18.10.2016 निरस्त किया जा चुका है, अतः प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार नामान्तकरण संख्या 912 वाके ग्राम नारेडी तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 09.11.2016 का कोई ऑचित्य नही रह जाता है। नामान्तकरण स्वतः ही खारिज है। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 912 वाके ग्राम नारेडी तहसील मुण्डावर निर्णय दिनाक 09.11.2016 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)